हैदराबाद में 12 मार्च, 2025 को पूर्वाह्न 03:30 बजे आयोजित

प्राधिकरण की 129वीं बैठक

MINUTES OF THE 129th

MEETING OF THE AUTHORITY

held on 12th March 2025 at 03:30 PM at Hyderabad

उपस्थितः

अध्यक्ष	श्री देबाशीष पण्डा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री राजय कुमार सिन्हा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री सत्यजीत त्रिपाठी
पूर्णकालिक सदस्य	श्री दीपक सूद
अंशकालिक सदस्य	सी.ए. चरणजोत सिंह नंदा (आभासी पद्धति)

साथ ही उपस्थितः

सचिव	श्रीमती बी. पद्मजा
स्टॉफ अधिकारी	श्रीमती वर्षा चौधरी

Present:

Chairman	Shri Debasish Panda
Whole-time Member	Shri Parmod Kumar Arora
Whole-time Member	Shri Rajay Kumar Sinha
Whole-time Member	Shri Satyajit Tripathy
Whole-time Member	Shri Deepak Sood
Part-time Member	CA. Charanjot Singh Nanda (Virtual Mode)

Also present:

Secretary	Smt. B Padmaja
Staff Officer	Smt. Varsha Choudhary

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने सीए रंजीत कुमार अग्रवाल, भूतपूर्व अंशकालिक सदस्य, जिनका कार्यकाल 11 फरवरी, 2025 को आईसीएआई के अध्यक्ष के रूप में समाप्त हुआ, के योगदान को अभिलेखबद्ध किया। उन्होंने सीए चरणजोत सिंह नंदा, आईसीएआई के पदधारी अध्यक्ष, जो अंशकालिक सदस्य, आईआरडीएआई के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार बैठक में उपस्थित हो रहे थे, का स्वागत किया। यह जानने के बाद कि अपेक्षित गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, अध्यक्ष महोदय ने विचार-विमर्श प्रारंभ किया।

डा. एम. पी. तंगिराला, एएस, डीएफएस – अंशकालिक सदस्य, आईआरडीएआई को अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई क्योंकि वे बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे।

अपने प्रारंभिक वक्तव्य में अध्यक्ष महोदय ने जनवरी, 2025 तक संगृहीत प्रीमियम के तौर पर उद्योग के कार्य-निष्पादन का उल्लेख किया जो रु. 9.42 लाख करोड़ था जिसने पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 8% की वृद्धि दर दर्शा रहा था। स्वास्थ्य खंड में वृद्धि दर 11% थी। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के मामले में वृद्धि दर 18% थी।

उद्योग की प्रबंधनाधीन आस्तियाँ (एयूएम) पिछले वर्ष के रु. 64 लाख करोड़ की तुलना में सितंबर 2024 तक लगभग रु. 72 लाख करोड़ हैं। दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, एफडीआई अंतर्वाह लगभग रु. 87,000 करोड़ है, जहाँ बीमाकर्ता रु.82,000 करोड़ लाये हैं और मध्यवर्ती रु.5,000 करोड़ लाये हैं। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार ईक्विटी और शेयर प्रीमियम पिछले वर्ष के रु. 1.13 लाख करोड़ की तुलना में लगभग रु. 1.25 लाख करोड़ है।

तदुपरांत, कार्यसूची की मदों पर विचार-विमर्श किया गया।

2. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बीमाकर्ताओं (डी-एसआईआईएस) की पहचान

2.1 यह प्रस्तुत किया गया कि 20 दिसंबर, 2019 को आयोजित प्राधिकरण की 107वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, एक वार्षिक व्यवहार के रूप में डी-एसआईआईएस की पहचान की प्रक्रिया संचालित की गई है जिसमें 15% के प्रारंभिक प्राप्तांक से युक्त बीमाकर्ताओं को डी-एसआईआई के रूप में नामोद्दिष्ट (डेजिग्नेटेड) किया गया है। इसी प्रकार से निम्नलिखित बीमाकर्ताओं को डी-एसआईआई के रूप में नामोद्दिष्ट करने का प्रस्ताव किया जाता हैः

1. भारतीय जीवन बीमा निगम
2. दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.
3. भारतीय साधारण बीमा निगम

2.1 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

4. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट

4.1 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यय हेतु संशोधित बजट अनुमान प्रस्तुत किये गये। सदस्यों ने व्यक्त किया कि भारत भर में बीमा जागरूकता अभियान प्रारंभ करने और आंतरिक आईटी प्रणालियों को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्व पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह एक अग्रदर्शी बजट है।

4.2. उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

6. भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल (आईएमटीआरआईपी) की दरों में कमी के अनुमोदन के लिए जीआईसी आरई के (पूल प्रबंधक) का अनुरोध

6.1 आतंकवाद ऐड-आन कवर के लिए दरों में (10%) कमी का अनुमोदन करने के लिए जीआईसी आरई - आईएमटीआरआईपी के पूल प्रबंधक द्वारा किये गये अनुरोध पर एक प्रस्तुतीकरण किया गया। 1 अप्रैल, 2024 से साधारण बीमा व्यवसाय की सभी व्यवस्थाओं के लिए प्रशुल्कों (टैरिफ्स) की अधिसूचना को वापस लेने (डी-नोटिफिकेशन) के आलोक में दरों में प्रस्तावित कमी को ध्यान में रखा गया।

6.2 उक्त कार्यसूची पर ध्यान दिया गया।

7. भारत में बीमा क्षेत्र में इंड एएस का कार्यान्वयन

7.1 यह प्रस्तुत किया गया कि बीमा क्षेत्र में इंड एएस के कार्यान्वयन की दिशा में मिशन पद्धति के आधार पर जून, 2022 में गठित एक समर्पित टीम अपने गठन के समय से ही कार्य कर रही है। यह टीम शीघ्रातिशीघ्र इंड एएस को कार्यान्वित करने के प्रयास में विभिन्न हितधारकों के साथ निरंतर लगी हुई है। बीमाकर्ताओं के द्वारा अंतराल का निर्धारण किया गया है। प्रभाव का निर्धारण इस प्रयोजन के लिए बनाये गये प्रोफार्मा विवरणों के द्वारा संचालित किया जाएगा। यह तीन चरणों में किया जाएगा। 15 बीमाकर्ता चरण I का भाग हैं। 20 बीमाकर्ता (एफआरबीएस सहित) चरण II का भाग हैं। 26 बीमाकर्ता चरण III

का भाग हैं। चरण II और चरण III में विद्यमान बीमाकर्ताओं को समय से पहले प्रस्तुतीकरण करने का विकल्प दिया गया है।

7.2 उक्त कार्यसूची को ध्यान में रखा गया।

8. जोखिम आधारित पूँजी (आरबीसी) संबंधी अद्यतन स्थिति

8.1 यह प्रस्तुत किया गया कि जून, 2022 में बनाई गई समर्पित मिशन पद्धति की टीम भारतीय बीमा उद्योग के लिए जोखिम आधारित पूँजी (`आरबीसी') संबंधी एक ढाँचा स्थापित करने पर कार्य कर रही है। इस टीम ने एक परामर्शक प्रक्रिया अपनाई है जिसमें उन्होंने उद्योग को आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया है तथा 2023-2024 में पहले मात्रात्मक प्रभाव का अध्ययन (क्यूआईएस1) संचालित किया है। क्यूआईएस1 के परिणामों के आधार पर इस ढाँचे की समीक्षा क्यूआईएस2 में अधिक सही सांख्यिकीय अंशांकन (कैलिब्रेशन) के साथ दबाव कारकों का संशोधन करने के लिए की जा रही है। 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार डेटा क्यूआईएस2 के लिए आधार बनेगा। यह निर्दिष्ट किया गया कि बीमा क्षेत्र के लिए आरबीसी शीघ्र ही प्रारंभ (लांच) करने के लिए तैयार की जा रही है।

8.2 उक्त कार्यसूची को ध्यान में रखा गया।

9. जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढाँचा (आरबीएसएफ) परियोजना संबंधी अद्यतन स्थिति

9.1 यह प्रस्तुत किया गया कि जून, 2022 में एक समर्पित मिशन पद्धति की टीम बनाई गई थी जो मेसर्स टोरन्टो सेंटर (टीसी) के साथ सहभागिता करते हुए बीमा क्षेत्र के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढाँचे (आरबीएसएफ) का कार्यान्वयन करने के लिए उद्योग के साथ घनिष्ठतापूर्वक कार्य कर रही है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, टीसी ने करार के अंतर्गत नौ सत्रों में से छह सत्रों को पूरा किया है। उक्त परियोजना का चरण I जो पर्यवेक्षी उपकरणों और टेंप्लेटों के विकास से संबद्ध है, पूरा किया गया है। चरण II में, एक प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण बीमाकर्ता सहित विभिन्न आकारों की संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए, पाँच संस्थाओं पर प्रायोगिक जाँच के तीन चरण संचालित किये गये हैं। चरण III, जो परियोजना का अंतिम चरण है, संगठनात्मक संरचना का नवीनीकरण करने के संबंध में चालू है।

9.2 उक्त कार्यसूची को ध्यान में रखा गया।

10. बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान के संबंध में अद्यतन स्थिति

10.1 यह प्रस्तुत किया गया कि आईआरडीएआई (बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान) विनियम, 2024 दिनांक 21 मार्च, 2024 को अधिसूचित किये गये थे। बीमा सुगम इंडिया महासंघ (बीएसआईएफ), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन एक `लाभरहित' (नाट फ़र प्राफिट) कंपनी के रूप में बनाया गया जिसमें जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा-कर्ता हितधारकों के रूप में संबद्ध थे। विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित विभिन्न अनुमोदन बीएसआईएफ को प्रदान किये गये। बीएसआईएफ से प्राप्त एक अद्यतन सूचना अब तक पूरे किये गये विभिन्न अनुपालनों, कार्यकलापों, प्रक्रियाओं की स्थिति को निर्दिष्ट करती है तथा वे चालू हैं।

10.2 उक्त कार्यसूची को ध्यान में रखा गया।

11. सार्वजनिक जागरूकता अभियान संबंधी स्थिति नोट

11.1 यह प्रस्तुत किया गया कि बीमा की आवश्यकता संबंधी सामान्य जागरूकता निर्मित करने के लिए एक सर्व भारतीय मल्टी-मीडिया, बहुभाषी जागरूकता अभियान प्रगति पर है। चयनित विषयों पर एक विभाजित तरीके से अभियान संचालित करने का प्रस्ताव है। पहले चरण में, फोकस एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में *बीमा* पर है। आज की स्थिति के अनुसार, छह मीडिया एजेंसियों और छह सर्जनात्मक एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है। एक सीमित निविदा प्राप्त करने के द्वारा तथा गुणवत्ता व लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति के द्वारा, सूचीबद्ध सर्जनात्मक एजेंसियों में से उच्चतर मूल्यांकित प्राप्तांकों से युक्त एक सर्जनात्मक एजेंसी अर्थात् मेसर्स प्रचार कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि. को चयन-सूची में शामिल किया गया है।

11.2 उक्त कार्यसूची को ध्यान में रखा गया है।

12. आईआईआरएम के कार्यकलापों संबंधी स्थिति नोट

12.1 आईआईआरएम के कार्यकलापों से संबंधित स्थिति नोट प्रस्तुत किया गया। यह निर्दिष्ट किया गया कि बीमा क्षेत्र की परिदृष्टि (विज़न) के अनुरूप, इस संस्थान ने उद्योग के हितधारकों, विनियमनकर्ता और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया है। विचाराधीन कार्यक्रमों में से एक उल्लेखनीय पहल शैक्षणिक वर्ष 2025 से एक 2-वर्षीय बीमांकिक विज्ञानों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएएस) का प्रारंभ है, जिसके लिए भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) से मान्यता (अक्रेडिटेशन) प्राप्त की गई है। यह कार्यक्रम आईएआई से सात बीमांकिक प्रश्नपत्रों की छूट प्राप्त करता है।

12.2 यह प्रस्तुत किया गया कि संस्थान की आंतरिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ सरल और कारगर बनाई गई हैं। यह अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय सुधार प्रतिबिंबित करनेवाली है। आईआरडीएआई द्वारा दिये गये एक सुलभ ऋण की चुकौती के लिए दिसंबर 2024 में आईआरडीएआई और आईआईआरएम के बीच एक ऋण करार निष्पादित किया गया था।

12.3 उक्त कार्यसूची को ध्यान में रखा गया है।

13. भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) द्वारा किये गये कार्यकलाप

13.1 यह प्रस्तुत किया गया कि 2022 से नये नेतृत्व में आईआईबी का कायापलट हुआ है। परिचालन के पहले दशक में आईआईबी की ओपेक्स और कैपेक्स अपेक्षाएँ आईआरडीएआई से प्राप्त अनुदानों से पूरे किये गये हैं। पिछले 3 वर्षों में आईआईबी इन अपेक्षाओं को अपनी स्वयं की निधियों से पूरा कर सका है। रु. 18 करोड़ के वार्षिक टर्नओवर तथा 2021-22 में रु. 1.4 करोड़ के अधिशेष से 2024-25 में उनका वार्षिक टर्नओवर रु. 41 करोड़ एवं रु. 13 करोड़ के अधिशेष तक पहुँच गया है।

13.2 आईआईबी के पास अब नवोन्मेष उत्पादों और बीमा उद्योग की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिकल्पित सेवाओं का विन्यास है। वे नये उत्पाद विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक बीमाकर्ता के लिए अभिनिर्धारित संपर्क के एकल स्थान (एसपीओसी) के द्वारा संरचित परस्पर सक्रियताओं (इंटरऐक्शन्स) के साथ हितधारकों के साथ संबंध मजबूत किये गये हैं।

13.3 उक्त कार्यसूची को ध्यान में रखा गया है।

14. राज्य बीमा योजना संबंधी स्थिति नोट

14.1 यह प्रस्तुत किया गया कि विकास की कार्यसूची के भाग के रूप में अक्टूबर 2022 में *`राज्य बीमा योजना'* सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों (यूटी) में प्रारंभ की गई जहाँ बीमाकर्ता राज्य/संघराज्य प्रशासन और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए बीमा समाधान उपलब्ध करा सकते हैं। यह बीमा समावेशन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में परिकल्पित है तथा यह प्रत्याशित है कि यह 2047 तक *"सबके लिए बीमा"* की परिदृष्टि प्राप्त करने के लिए आधार-भूमि तैयार करेगी। इस योजना के भाग के रूप में, बीमाकर्ताओं को राज्य/संघराज्य क्षेत्र आबंटित किये गये जो उनके अग्रणी बीमाकर्ता होंगे। राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी, आईआरडीएआई के अधिकारी और अग्रणी बीमाकर्ताओं

के प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति (केएमपी) एक सहयोगपूर्ण तरीके से उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न पहलें प्रारंभ कर रहे हैं।

14.2 उक्त पहलू को एक औपचारिक रूप देने तथा इसे गति प्रदान करने के लिए, एक मास्टर योजना बनाई गई है जो वर्तमान में सक्रिय परामर्शों के अधीन है। इस स्कीम के अंतर्गत, संरक्षण के अंतरालों की स्थानीयकृत पहचान करने में और उनको कवरेज प्रदान करने में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य, जिला, शहरी और ग्राम पंचायतों के स्तरों पर एक बहु-स्तरीय अभिशासन माडल द्वारा उक्त योजना को समर्थन दिया जाएगा। उक्त मास्टर योजना की एक केन्द्रीय विशेषता सभी राज्यों में बीमाकर्ताओं की फ़िजिटल उपस्थिति सुनिश्चित करने पर फोकस है, जो उक्त योजना के निष्पादन का पर्यवेक्षण करने एवं उसकी प्रगति की निगरानी करने के लिए एक केन्द्रीयकृत मिशन के साथ समन्वित है।

14.3 उक्त कार्यसूची को ध्यान में रखा गया।

16. सहायक प्रबंधकों की भर्ती संबंधी अद्यतन स्थिति

16.1 यह प्रस्तुत किया गया कि 2026 तक 120 सहायक प्रबंधकों की स्वीकृत संख्या को प्राप्त करने के लिए 30 सहायक प्रबंधकों (एएम) की भर्ती का अनुमोदन जुलाई 2022 में आयोजित प्राधिकरण की 119वीं बैठक में किया गया था। चूँकि 2022 में भर्ती का कोई प्रयोग नहीं था, अत: 2023 और 2024 में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक 45 रिक्तियों को भरने का निर्णय लिया गया। 2 अगस्त, 2024 को आयोजित प्राधिकरण की 126वीं बैठक में 225 तक सहायक प्रबंधकों (एएम) की स्वीकृत संख्या को बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसे 2027 के अंत तक प्राप्त करना होगा।

16.2 उक्त कार्यसूची को ध्यान में रखा गया।

सारणी मदः बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) में रिक्तियाँ भरना

1. बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) में पाँच रिक्तियाँ भरने के संबंध में एक कार्यसूची मद प्रस्तुत की गई।
2. उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने व्यक्त किया कि आईआरडीएआई में उनका कार्यकाल 13 मार्च, 2025 को समाप्त हो रहा है तथा उन्होंने सभी सदस्यों को आईआरडीएआई में पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान उनके सहयोग और योगदान के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने बोर्ड सचिव और बोर्ड सचिवालय द्वारा बैठकों की गहन आयोजना और संगठन को अभिलेख-बद्ध किया। उन्होंने आईआरडीएआई के सभी अधिकारियों के अनवरत प्रयासों के लिए उनका आभार माना और उनकी सराहना की, जिसने निम्नलिखित से युक्त ऐसे बड़े पैमाने वाले बीमा क्षेत्र में पालिसीधारक-केन्द्रित सुधारों की कार्यसूची के प्रारंभ को समर्थ बनाया है।

- एक सिद्धांत-आधारित विनियामक परिदृश्य की दिशा में अग्रसरण जिसके द्वारा 78 विनियमों और 377 परिपत्रों को 26 विनियमों और 12 मास्टर परिपत्रों के रूप में सरल और कारगर बनाया गया गया हैं।
- अधिक शीघ्रता से विनियामक अनुमोदनों के द्वारा व्यवसाय करने की सुगमता को सुसाध्य बनाया गया है जिसने एक दशक के अंतराल के बाद 6 बीमाकर्ताओं और 1 पुनर्बीमाकर्ता के प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।
- बीमा त्रयी प्रारंभ करने की पहल को प्रारंभ किया है जिसमें निहित हैं, बीमा सुगम – बीमा के लिए भारत की सर्वप्रथम डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना; बीमा वाहक – महिला-नीत वितरण बल; और बीमा विस्तार – एक व्यापक लाभ आधारित उत्पाद जो प्राचलिक (पैरामेट्रिक) उत्प्रेरक हैं।
- पालिसीधारक-केन्द्रित सुधार जो अधिक उत्पाद विकल्पों, ग्राहक सूचना पत्रक के प्रारंभ, उपयुक्तता विश्लेषण, संवर्धित निःशुल्क अवलोकन और अनुग्रह अवधियों, बहुभाषी प्रवेश, घटाई गई प्रतीक्षा अवधियों, सुचारु सुवाह्यता, निर्बाध कागज-रहित दावों आदि को समर्थ बनाते हैं।
- राज्य बीमा योजना प्रारंभ करना जो स्थानीयकृत बीमा समावेशन को संचालित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ अपने ढंग के एक सर्वप्रथम सहयोग से युक्त योजना है।
- वित्तीय आघात-सहनीयता को मजबूत करने के लिए जोखिम आधारित पूँजी, इंड एएस (अभिसरित आईएफआरएस) और जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढाँचे के कार्यान्वयन के माध्यम से बीमा क्षेत्र के लिए जोखिम प्रबंध ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए मिशन पद्धति आधार पर प्रक्रिया को प्रारंभ करना।

आगे उन्होंने अभिव्यक्त किया कि आईआरडीएआई के अधिकारी अच्छे कार्यनिष्पादन को बनाये रखें और प्रक्रियाधीन विभिन्न पहलों को पूरा करने के लिए प्रयास करें।

सदस्यों ने सुधारों की कार्यसूची को संचालित करने में उनके अनुकरणीय नेतृत्व हेतु तथा परिदृष्टि (विजन) को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होने में क्षेत्र का मार्गदर्शन करने के लिए अध्यक्ष महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन किया।

The Chairman extended a warm welcome to all the Members present. The Chairman placed on record contributions of CA Ranjeet Kumar Agarwal, former Part-time Member, whose tenure ended as President of ICAI on 11th February 2025. He welcomed CA Charanjot Singh Nanda, the incumbent President of ICAI who was attending the meeting for the first time after his appointment as Part-time Member, IRDAI. After ascertaining that the requisite quorum was present, Chairman started the deliberations.

Leave of Absence was granted to Dr. M P Tangirala, AS, DFS - Part time Member, IRDAI as he could not attend the meeting

In his brief opening remarks, the Chairman touched upon the industry's performance in terms of premium garnered till January 2025 which was ₹ 9.42 lakh crore with a growth rate of 8% over the corresponding period previous year. In the health segment, the growth rate was 11%. In case of standalone health insurers, the growth rate was 18%

The Assets Under Management (AUM) of the industry upto September, 2024 is around ₹72 lakh crore as compared to ₹ 64 lakh crore last year. The FDI inflow as on December 2024 is around ₹ 87,000 crore with Insurers bringing in ₹82,000 crore and intermediaries bringing in ₹ 5,000 crore. The equity and share premium as on 31st March, 2024 is around ₹ 1.25 lakh crore as compared to ₹ 1.13 lakh crore last year.

Thereafter, agenda items were taken up.

2 Identification of Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs)

2.1 It was presented that as decided in the 107th Authority meeting held on 20th December, 2019, the process of identification of D-SIIs is carried out as an annual exercise in which insurers with the threshold score of 15% have been designated as D-SII. On the same lines, the following insurers are proposed to be designated as D-SII:

1. Life Insurance Corporation of India
2. The New India Assurance Co. Ltd.
3. General Insurance Corporation of India

2.2 The agenda was approved.

4 Budget for Financial Year 2025-26

4.1 Budget for FY 2025-26 and revised budget estimate for expenditure for FY 2024-25 was presented. Members expressed that it was a forward looking Budget taking into account important initiatives being taken up like launching pan India insurance awareness campaigns and strengthening internal IT systems.

4.2 The agenda was approved.

6 GIC Re's (Pool Manager) request for approval of reduction in rates of Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool (IMTRIP)

6.1 A presentation was made on the request made by GIC Re – the pool manager of IMTRIP to approve the reduction in rates (10%) for terrorism add-on cover. In the light of de-notification of tariffs for all lines of general insurance business w.e.f. 1st April 2024, the proposed reduction in rates have been noted.

6.2 The agenda was noted.

7 Implementation of Ind AS in Insurance Sector in India

7.1 It was presented that a dedicated team is working since its formation in June 2022 on Mission Mode basis towards Implementation of Ind AS in the Insurance Sector. The team is in continuous engagement with various stakeholders in an endeavour to Implement Ind AS at the earliest. Gap assessment has been carried out by Insurers. Impact assessment shall be carried out through the proforma financial statements formulated for this purpose. It shall be carried out in three phases. 15 Insurers are part of phase I. 20 Insurers (including FRBs) are part of phase II. 26 insurers are part of phase III. Option of early submission is given to insurers in phase II and phase III.

7.2 The agenda was noted

8 Status Update on Risk Based Capital (RBC)

8.1 It was presented that the dedicated Mission Mode team formed in June 2022 is working on establishing a framework on Risk Based Capital ('RBC') for the Indian insurance industry. The team has adopted a consultative process in which they have provided necessary guidance to the industry and carried out First Quantitative Impact Study (QIS1) in 2023-2024. Basis the results of QIS1, the framework is being reviewed to revise the stress factors with more accurate statistical calibration in QIS 2. Data as at 31st March, 2025 will form the basis for QIS2. It was indicated that RBC for the Insurance sector is getting ready for launch soon.

8.2 The agenda was noted.

9 Status update on the Risk Based Supervisory Framework (RBSF) Project

9.1 It was presented that a dedicated Mission Mode team was formed in June 2022 which is working closely with the industry to implement Risk Based Supervisory Framework (RBSF) for the Insurance sector partnering with M/s Toronto Centre (TC). As on date, TC has completed six sessions out of nine sessions under the agreement. Phase I of the project involving development of supervisory tools and templates is completed. In Phase II, three phases of pilot examination have been carried out on five entities, covering entities of various sizes including one Domestic Systemically Important Insurer. Phase III, the last phase of the project is underway on revamping of the organisation structure.

9.2 The agenda was noted

10 Status update on the Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace

10.1 It was presented that the IRDAI (Bima Sugam – Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2024 were notified on 21st March, 2024. Bima Sugam India Federation (BSIF) was formed as a 'not for profit' company under Section 8 of Companies Act, 2013 consisting of Life, General and Health Insurers as stakeholders. Various approvals required under the Regulations have been accorded to BSIF. An

update received from BSIF indicates the status of various compliances, activities, processes completed till date and those which are underway.

10.2 The agenda was noted.

11 Status Note on Public Awareness Campaign

11.1 It was presented that a pan-India multi-media, multi-lingual awareness campaign to create general awareness on the need for insurance is in progress. It is proposed to campaign the selected themes in a staggered manner. In the first phase, focus shall be on - *Insurance* as a basic need. As on date, six media agencies and six creative agencies have been empanelled. By floating a limited tender and through Quality cum Cost Based Selection (QCBS) method, one of the empanelled creative agencies viz., M/s Prachar Communications Pvt. Ltd. with higher evaluated score has been shortlisted.

11.2 The agenda was noted.

12 Status Note on activities of IIRM

12.1 Status note on activities at IIRM was presented. It was indicated that in alignment with vision of insurance sector, the institute has conducted various training programs in collaboration with industry stakeholders, regulator and premier academic institutes. From among the programs in the pipeline, a notable initiative is launching of a 2-year Post Graduate Diploma in Actuarial Sciences (PGDAS) from the Academic Year 2025 for which accreditation is received from the Institute of Actuaries of India (IAI). This program gets seven actuarial papers exemption from IAI.

12.2 It was presented that the internal systems and processes of the Institute have been streamlined. Financial position for FY 2024-25 is expected to reflect a noticeable improvement as compared to the previous year. A loan agreement was executed between IRDAI and IIRM in December 2024, towards repayment of soft loan extended by IRDAI.

12.3 The agenda was noted.

13 Activities undertaken by Insurance Information Bureau of India (IIB)

13.1 It was presented that IIB has undergone transformation under the new leadership since 2022. In the first decade of operations the opex and capex requirements of IIB were met out of grants from IRDAI. In the last 3 years, IIB has been able to meet these requirements out of its own funds. From an annual turnover of ₹ 18 crore and a surplus of ₹ 1.4 crore in 2021-22, their annual turnover in 202425 reached ₹ 41 crore and a surplus of ₹ 13 crore.

13.2 IIB now has an array of innovative products and services designed to meet evolving needs of insurance industry. They are also continuously working to develop new products. Stakeholder relationships have been strengthened with structured interactions through a single point of contact (SPOC) identified for each insurer

13.3 The agenda was noted.

14 Status Note on State Insurance Plan

14.1 It was presented that as part of development agenda ***'State Insurance Plan'*** was initiated in October 2022 across all States/UTs where insurers in collaboration with State/UT administration and other stakeholders can make available insurance solutions to all categories of the society. It is envisaged to be a catalyst for insurance inclusion and lay the groundwork for achieving the vision of ***"Insurance for All"*** by 2047. As part of this plan, Insurers were allocated States/UTs to be their Lead Insurers. Senior officials from States/UT administration, officials of IRDAI and KMPs of lead insurers are taking up various initiatives under the plan in a collaborative manner.

14.2 In order to formalise and give momentum to the initiative, a Master Scheme has been formulated which is currently under active consultations. Under this scheme, the plan shall be supported by a multi-tiered governance model at the state, district, urban, and gram panchayat levels to facilitate localized identification of protection gaps and coverage there of. A central feature of the Master Scheme is the focus on ensuring

phygital presence of insurers across all states, coupled with a centralized Mission Office to oversee the plan's execution as well as monitoring its progress.

14.3 The agenda was noted.

16 Status update on Recruitment of Assistant Managers

16.1 It was presented that recruitment of 30 Assistant Managers (AMs) to attain sanctioned strength of 120 AMs by 2026 was approved in the 119th Authority Meeting held in July 2022. As there was no recruitment exercise in 2022, it was decided to fill up 45 vacancies each in the recruitment process in 2023 and 2024. In the 126th Authority Meeting held on 2nd August 2024, approval was accorded to increase the sanctioned strength of AMs to 225 to be achieved by end of 2027.

16.2 The agenda was noted.

Table Item: Filling vacancies in the Insurance Advisory Committee (IAC)

1. An agenda item was submitted on filling the five vacancies in the Insurance Advisory Committee (IAC)
2. The agenda was approved.

The Chairman expressed that his tenure in IRDAI is ending on 13th March 2025 and thanked all the Members for their support and contribution during the past three years of tenure in IRDAI.

He placed on record thorough planning and organisation of meetings by the Board Secretary and the Board Secretariat. He thanked and appreciated the relentless efforts of all the officers of IRDAI which has enabled the initiation of policyholder centric reforms agenda in the insurance sector in such large scale comprising of

- Move towards a Principle-Based Regulatory landscape whereby 78 Regulations and 377 Circulars have been streamlined into 26 Regulations and 12 Master Circulars

- Facilitated Ease of Doing Business through faster regulatory approvals which led to the entry of 6 Insurers and 1 Re-insurer after a decadelong gap
- Commenced the initiative of launching Bima Trinity which comprise of Bima Sugam - India's first Digital Public Infrastructure for Insurance; Bima Vahak - Women-led distribution force; and Bima Vistaar – a comprehensive benefit based product with parametric triggers
- Policyholder-Centric Reforms enabling more product choices, introduction of customer information sheet, suitability analysis, enhanced free-look and grace periods, multilingual access, reduced waiting periods, smooth portability, seamless paperless claims etc.
- Commencing the State Insurance Plan a first-of-its-kind collaboration with State Governments to drive localized insurance inclusion
- Initiating the process on mission mode basis to strengthen the Risk Management framework for the insurance sector through implementation of Risk Based Capital, Ind AS (converged IFRS) and Risk Based Supervisory Framework to fortify financial resilience

He further expressed that the officers of IRDAI should keep up the good work and strive to complete various initiatives that are in the pipeline.

Members expressed their gratitude to the Chairman for his exemplary leadership in driving the reforms agenda and guiding the sector in the path towards realising the Vision.